राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 19762/2023

सुख राम पुत्र श्री सतपाल, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी - वार्ड संख्या 1, वी. पी. ओ. जीवनदेसर, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ़।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, हनुमानगढ़।

5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कृषि संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर के माध्यम से---- उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिए:- श्री आर. एस. चौधरी।

उत्तरदाताओं के लिएः- श्री पंकज शर्मा, ए. ए. जी. के साथ श्री धैर्यादित्य राठौर और श्री ऋषि सोनी, श्री विनीत सनाढ्य।

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

12/01/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिनांकित 16.9.2023 के चिकित्सा प्रमाण पत्र/राय (अनुलग्नक 14) से उत्पन्न होती है, जिसके अनुसार उसे 48% विकलांगता के दावे के विपरीत 18 से 20% विकलांगता प्रमाणित की गई है।

2. विवाद का सार इस बात पर केंद्रित है कि क्या मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 06.10.2011 (अनुलग्नक 3) को जारी किया गया प्रमाण पत्र, जो यह प्रमाणित करता है कि याचिकाकर्ता शक्ति के आघात के बाद के नुकसान के कारण अपने पैर में 40 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित है, को भर्ती एजेंसी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड की राय पर प्राथमिकता देना चाहिए। इस बोर्ड को विशेष रूप से सक्षम श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने, उनके दावों का समर्थन करने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने का काम सौंपा गया था।

3. पूर्व प्रमाण पत्र पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने जिला श्रीगंगानगर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क किया, जो शारीरिक हानि/विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत थे। इसके बाद, 29.11.2017 को, सक्षम अधिकारी ने प्रमाणित किया (अनुलग्नक 3) कि याचिकाकर्ता 48 प्रतिशत तक आघात के बाद के कारणों से अपने दाहिने अंग में लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित है। यह प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र के साथ जमा किया गया था, जैसा कि अन्य उम्मीदवारों के साथ हुआ था जिन्होंने अपने चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा किए थे।

4. उम्मीदवारों के दावों की जांच करने के लिए, भर्ती एजेंसी ने 16.09.2023 (अनुलग्नक 13) को एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड में चार विशेषज्ञ शामिल थेः डॉ. विकास चौधरी (ऑर्थोपेडिक), डॉ. के. एल. किलानिया (नेत्र रोग विशेषज्ञ), डॉ. राजेश यादव (न्यूरोलॉजी फिजिशियन), और डॉ. दिलीप यादव (ई. एन. टी.)।

5. मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता की जांच करने के बाद पाया कि पहले के चिकित्सक द्वारा विकलांगता को गलत तरीके से प्रमाणित किया गया था। नतीजतन, एक प्रमाण पत्र दिनांकित 16.09.2023

(अनुलग्नक 14) को जारी किया गया था, और तदनुसार, उक्त प्रमाण पत्र को कोई विश्वसनीयता नहीं दी गई थी। मेडिकल बोर्ड ने प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 14) में कहा कि याचिकाकर्ता, वास्तव में, आघात के बाद के कारणों से अपने दाहिने टखने में 18 से 20 प्रतिशत की अक्षमता से पीड़ित है, जिसके परिणामस्वरूप टखने में कुछ कठोरता होती है। इसलिए, याचिका में मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर विचाराधीन पद के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का आरोप लगाया गया है।

6. मामले को सुना गया।

7. यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह के भेदभाव का आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड का गठन विशेष रूप से उसके लिए नहीं किया गया था, बल्कि विशेष रूप से सक्षम वर्गीकरण के तहत लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पूरी श्रेणी के लिए किया गया था। न ही याचिकाकर्ता का यह मामला है कि वह हड्डी में विकृति और/या पैर के छोटे होने और/या उस तरह की किसी अन्य स्थायी विकलांगता के कारण किसी भी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दलीलों के दौरान पूरा जोर सीएमएचओ द्वारा जारी पूर्व प्रमाण पत्र पर है, जो ऐसा करने के लिए सक्षम व्यक्ति है। हालांकि, सीएमएचओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) का अवलोकन विश्वास पैदा नहीं करता है क्योंकि इसमें न तो चिकित्सक के नाम का उल्लेख है और न ही उसकी विशेषता का। यह भी स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को 48% विकलांगता से पीड़ित प्रमाणित करने के लिए उसकी योग्यता क्या थी, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी समान प्रमाण पत्र का आधार प्रतीत होता है।

9. यदि सीएमएचओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) पर

विश्वास भी कर लिया जाए, तो भी इसे मेडिकल बोर्ड की राय पर वरीयता नहीं दी जा सकती, जिसमें उनके क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिसका गठन पूरे अभ्यर्थियों के लिए किया गया था, न कि केवल याचिकाकर्ता के लिए।

10. जैसा भी हो, यह इस न्यायालय का काम नहीं है कि वह किसी विशेषज्ञ (हड्डी रोग विशेषज्ञ) की राय पर अपील पर बहस सुने जो भर्ती एजेंसी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड का सदस्य था। जब तक यह दुर्भावनापूर्ण मामला नहीं होता, जो स्पष्ट रूप से नहीं है, तब तक यह न्यायालय क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय में हस्तक्षेप करने से बचता, क्योंकि यह सबसे अच्छा है जो उन पर छोड़ दिया जाता है। यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह अपने विवेकाधिकार को लागू करे और इसे किसी विशेषज्ञ के स्थान पर रखे।

11. चर्चा के परिणामस्वरूप, याचिका गुण-दोष से रहित है और खारिज होने योग्य है।

12. तदनुसार रिट याचिका को ख़ारिज किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।